सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY

वार्षिक खाता 2022-23

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

वार्षिक लेखे
2022-23

7वीं-8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
भारत, फोन:+91-11-23355013 वेबसाइट: https://nfra.gov.in/

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	परिचय	5
2	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	6
3	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	8
4	तुलन पत्र	9
5	आय एवं व्यय लेखे	10
6	प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	11
7	तुलन पत्र की अनुसूचियां	12
8	आय एवं व्यय लेखे की अनुसूचियां	19
9	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25
10	आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	27
11	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन	29

परिचय

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत 1 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के लेखांकन और लेखापरीक्षा मानक स्थापित करके कंपनियों और कारपोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए और लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए कंपनियों और कारपोरेट निकायों के निवेशकों, लेनदारों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के सार्वजनिक हित और अन्य हितों की रक्षा करना है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(13) में उल्लेख है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने लेखाओं के संबंध में लेखा बही और अन्य बहियां ऐसे रूप में और ऐसी विधि से रखेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए।

संसद ने पूरक बजट 2022-23 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लिए अनुदान अधिकृत किया। बाद में मार्च 2023 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को अनुदान जारी किए गए। तदनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने मार्च, 23 के लिए लागू फॉर्म अर्थात् केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप में अपने लेखे तैयार किए हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अनुदानग्राही संगठन बनने से पहले, प्राधिकरण की प्राप्तियां और संवितरण कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लेखाओं का हिस्सा थे और जो आगे केन्द्रीय वित्त और विनियोग लेखाओं का हिस्सा थे।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(14) में उल्लेख है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतराल पर की जाएगी जो उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथा-प्रमाणित ऐसे लेखे उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2022-23 (03.3.2023 से 31.03.2023) के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और दिनांक 01.11.2023 के पत्र संख्या एनएफआरए/2022-23/2023-24/352-54 के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की है। 01.04.2022 से 02.03.2023 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय वित्त और विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा का हिस्सा होगी और संसद में पेश की जाएगी।

तदनुसार, यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 (03.03.2023 से 31.03.2023) के लिए निर्धारित प्रारूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथा-प्रमाणित लेखे और उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(14) के अनुसार केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है।

03 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली का संलग्न तुलन पत्र और 03 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों के अनुपालन और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) के अनुपालन और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणी निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से भेजी जाती हैं।

3. हमने सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांत और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i) हमने पूरी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

   ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

   iii) हमारी राय में, जहां तक ऐसे रिकॉर्ड की हमारी जांच से प्रतीत होता है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 (13) की अपेक्षानुसार प्रासंगिक रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं:

   iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

अ. सहायता अनुदान

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पास सहायता अनुदान का कोई प्रारंभिक शेष नहीं था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को सहायता अनुदान के रूप में ₹7,43,00,000 (सामान्य: ₹5,76,00,000 और वेतन: ₹1,67,00,000) प्राप्त हुए जिसमें से इसने ₹7,41,82,300 (सामान्य: ₹5,76,00,000 और वेतन: ₹1,65,82,300) का उपयोग कर लिया और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सहायता अनुदान वेतन के तहत ₹1,17,700 अव्ययित रहे।

ब. अन्य

ब.1 पिछले वर्षों के लेखे प्रस्तुत न किया जाना

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने 03.03.2023 से 31.03.2023 की अवधि से संबंधित अपने लेखे पहली बार इस आधार पर तैयार किए हैं कि वित्त मंत्रालय ने 21.09.2022 को प्राधिकरण का अनुदानग्राही का दर्जा अनुमोदित कर दिया और कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 03.03.2023 के स्वीकृति आदेश के तहत पहली बार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लिए अनुदान जारी किया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त अवधि के लेखे सीएजी को प्रस्तुत किए गए थे और उनकी लेखापरीक्षा कर दी गई है।

वर्ष 2018-19 में अपनी स्थापना के बाद से वर्ष 2021-22 तक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने न तो अपने पृथक लेखे तैयार किए और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की अपेक्षानुसार सीएजी से उनकी लेखापरीक्षा कराई क्योंकि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का आहरण और संवितरण का कार्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय के माध्यम से किया जाता था और मंत्रालय की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की गई है। हालांकि, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्टें तैयार कीं जिनमें प्रत्येक वर्ष के आय एवं व्यय का विवरण शामिल होता था और वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश कराई गई।

इस संबंध में, *राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने उल्लेख किया है कि अपने लेखाओं को केन्द्रीय लेखाओं से पृथक करने के प्रयोजन से आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाओं के अभाव में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने पृथक लेखे तैयार करने की स्थिति में नहीं था। तथापि, संसद द्वारा पूरक बजट 2022-23 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लिए अनुदान अधिकृत कर दिए जाने के बाद, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मार्च, 2023 में नव सृजित बजट शीर्ष के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को अनुदान जारी किए गए। तदनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने मार्च, 2023 के लिए लागू फॉर्म में अपने लेखे तैयार किए और सीएजी को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए।*

स. खामियां जो इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाई गई हैं।

v) पिछले पैराओं में टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में सम्मिलित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखाबहियों के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं।

(क) जहां तक यह 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के तुलन पत्र, मामलों की स्थिति से संबंधित है, और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

हस्ता./-
(संजय के झा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 01.11.2023

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक
(वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं के संबंध में)

क. आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में कोई अलग आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा अखिल भारतीय लेखापरीक्षक और लेखाकार परिषद, नई दिल्ली द्वारा की गई थी। वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी हो चुकी है।

ख. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था पर्याप्त पाई गई।

ग. स्थाई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी स्थाई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि यह भौतिक सत्यापन वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले (अर्थात् दिसंबर 2022 में) किया गया था।

घ. मालसूची के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की बहियों में कोई मालसूची नहीं थी।

ङ. वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमितता।

वैधानिक बकाया के भुगतान में अनियमितता का कोई मामला नहीं था।

हस्ता./-

निदेशक (एएमजी-I)

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(धनराशि ₹ में)

धनराशि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान अवधि
धनराशि	1	1,39,63,645
रिजर्व एवं अधिशेष	2	1,188
निर्धारित/दान निधि	3	-
प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-
अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	1,94,73,540
जोड़		**3,34,38,373**
परिसंपत्तियां	**अनुसूची**	**वर्तमान अवधि**
स्थाई परिसंपत्तियां	8	1,94,19,231
निवेश- निर्धारित/दान निध से	9	-
निवेश- अन्य	10	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	11	1,40,19,142
विविध व्यय (जो बट्टे खाते नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)		-
जोड़		**3,34,38,373**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22	
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	23	

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./- **अध्यक्ष**

हस्ता./- **सदस्य**

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

3 मार्च से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(धनराशि ₹ में)

आय	अनुसूची	वर्तमान अवधि
अनुदान/ सब्सिडी	12	7,43,00,000
शुल्क/ अंशदान	13	-
निवेश से आय (निधि में अंतरित निर्धारित /	14	-
दान निधि से निवेश पर आय)		
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	15	-
अर्जित ब्याज	16	1,20,369
अन्य आय	17	15,011
जोड़ (क)		**7,44,35,380**
व्यय	**अनुसूची**	**वर्तमान अवधि**
स्थापना व्यय	18	2,76,20,746
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	19	3,27,30,620
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	20	-
ब्याज	21	1,20,369
जोड़ (ख)		**6,04,71,735**
व्यय के मुकाबले में अधिक आय (क-ख) के कारण शेष		1,39,63,645
विशेष रिजर्व में अंतरित		-
सामान्य रिजर्व में/ से अंतरित		-
अधिशेष (घाटे) को कॉर्पस/ पूंजी निधि में ले जाने के कारण शेष		**1,39,63,645**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22	-
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	23	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./-
अध्यक्ष

हस्ता./-
सदस्य

3 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखे

(धनराशि ₹ में)

प्राप्ति		वर्तमान अवधि	भुगतान		वर्तमान अवधि
I. प्रारंभिक शेष			**I. व्यय**		
(क) रोकड़ शेष	-		(क) स्थापना व्यय	1,66,70,650	
(ख) बैंक में जमा राशि			(अनुसूची 18 के अनुसार)		
(i) चालू खातों में			(ख) प्रशासनिक व्यय	2,53,75,548	
- पंजाब नेशनल बैंक	-	-	(अनुसूची 19 के अनुसार)		4,20,46,198
			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से		
(ii) जमा खातों में			**किए गए भुगतान**		-
- सावधि जमा	-		**III. निवेश और जमा की गई धनराशि**		
(iii) बचत खाते	-	-	क) निर्धारित / दान निधि से	-	
			ख) अपनी निधि से (अन्य निवेश)	-	-
II. प्राप्त अनुदान					
(क) भारत सरकार से	7,43,00,000		**IV. स्थाई परिसंपत्तियों पर व्यय एवं**		
(ख) राज्य सरकार से	-		**चालू पूंजीगत कार्य**		
(ग) अन्य स्रोतों से	-	7,43,00,000	क) स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	15,28,308	
			ख) चालू पूंजीगत कार्यों		
III. निम्नलिखित से निवेश से आय			पर व्यय	1,70,20,839	1,85,49,147
(क) निर्धारित/ दान निधि	-				
(ख) अपनी निधि (अन्य निवेश)	-	-	**V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी**		
			क) भारत सरकार को	-	
IV. प्राप्त ब्याज			ख) राज्य सरकार को	-	
(क) बैंक जमा पर	1,07,888		ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-

(ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	1,07,888			
			VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		-
V. अन्य आय					-
(क) प्राप्त शुल्क	-		VII. अन्य भुगतान		
(ख) स्क्रैप /परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-		-	-
VI. उधार ली गई राशि		-			
			VIII. अंतशेष		
			क) रोकड़ शेष	-	
VII. कोई अन्य प्राप्ति			ख) बैंक में जमा:		
(ग) अन्य प्राप्तियां	15,011	15,011			
			(i) चालू खातों में		
			- पंजाब नेशनल बैंक	1,38,27,554	
			(ii) जमा खातों में		
			- सावधि जमा	-	
			(iii) बचत खातों में	-	1,38,27,554
जोड़		**7,44,22,899**	**जोड़**		**7,44,22,899**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./-
अध्यक्ष

हस्ता./-
सदस्य

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

अनुसूची - 1
निधि

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
अवधि के शुरू में शेष	
जोडें: निधि के लिए अंशदान	-
जोडें/ (घटाएं): निवल आय का शेष / (व्यय)	1,39,63,645
आय एवं व्यय खाते से अंतरित	
अवधि के अंत में शेष	**1,39,63,645**

अनुसूची - 2
रिजर्व एवं अधिशेष

	वर्तमान अवधि
1. पूंजी रिजर्व	
पिछले खाते के अनुसार	-
जोडें: मंत्रालय द्वारा खरीदी गई स्थाई परिसंपत्तियों का सांकेतिक मूल्य	1,188
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां	-
2. पुनर्मूल्यन रिजर्व	
पिछले खाते के अनुसार	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां	-
3. विशेष रिजर्व	
पिछले खाते के अनुसार	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां	-
4. सामान्य रिजर्व	
पिछले खाते के अनुसार	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां	-
जोड़	**1,188**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली	हस्ता./-	हस्ता./-
तारीख : 30.06.2023	**अध्यक्ष**	**सदस्य**

अनुसूची - 3
निर्धारित/ दान निधि

(धनराशि ₹ में)

	निधि XX	निधि YY	निधि ZZ	जोड़ वर्तमान अवधि
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
ख) निधियों में वृद्धि:				
i) दान/ अनुदान	-	-	-	-
ii) निधियों की मद में किए गए निवेश से आय	-	-	-	-
iii) अन्य वृद्धियां	-	-	-	-
				-
जोड़ (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**-**
ग) निधियों के उद्देश्य से उपयोग/ व्यय				
i) पूंजीगत व्यय				
- स्थाई परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-
जोड़ (ग)	-	-	-	-
अवधि के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	**-**	**-**	**-**	**-**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./-
अध्यक्ष

हस्ता./-
सदस्य

अनुसूची - 4
प्रतिभूत ऋण एवं उधारी

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. केन्द्र सरकार	-
2. राज्य सरकार	-
3. वित्तीय संस्थाएं	
क) आवधिक ऋण	-
ख) जमा और बकाया ब्याज	-
4. बैंकें :	
क) आवधिक ऋण	
- जमा और बकाया ब्याज	-
ख) अन्य ऋण	
- जमा और बकाया ब्याज	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-
6. ऋणपत्र और बांड	-
7. अन्य	-
जोड़	
नोट: एक अवधि में देय राशि	

अनुसूची – 5
अप्रतिभूत ऋण एवं उधारी

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. केन्द्र सरकार	-
2. राज्य सरकार	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-
4. बैंक:	
क) आवधिक ऋण	-
ख) अन्य ऋण	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-
6. ऋणपत्र और बांड	-
7. सावधि जमा	-
8. अन्य	-
जोड़	-
नोट: एक अवधि में देय राशि	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./-
अध्यक्ष

हस्ता./-
सदस्य

अनुसूची - 6
आस्थगित ऋण देयताएं

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. पूंजीगत सामान और अन्य परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्राप्त की गई स्वीकृति	-
2. अन्य	-
जोड़	-
नोट: एक अवधि में देय राशि	-

अनुसूची - 7
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि	
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां		-
2. विविध लेनदार:		
क) माल के लिए	-	
ख) अन्य	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		
4. ब्याज जमा हुआ किंतु बाकी नहीं:		
क) प्रतिभूत ऋण/ उधारी	-	
ख) अप्रतिभूत ऋण/ उधारी	-	-
5. सांविधिक देयताएं:		
क) बाकी	-	
ख) अन्य	1,37,43,469	1,37,43,469
6. अन्य वर्तमान देयताएं		16,81,300
जोड़ (क)		**1,54,24,769**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		4,700
2. ग्रेच्युटि		-
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन		-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण		-
5. व्यापार वारंटी/ दावे		-
6. अन्य:		
क) वेतन के लिए	15,78,781	
ख) आउटसोर्स्ड स्टाफ के लिए	11,38,876	
ग) विशेषज्ञ सेवाओं के लिए	6,38,387	
घ) कार्यालय व्यय के लिए	6,88,027	40,44,071
जोड़ (ख)		**40,48,771**
जोड़ (क+ख)		**1,94,73,540**

अनुसूची - 8
स्थाई परिसंपत्तियां

(धनराशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	अवधि की शुरूआत में लागत	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान कटौती/ समायोजन	अवधि के अंत में लागत	अवधि के शुरू में	अवधि के दौरान	अवधि के दौरान कटौती/ समायोजन	अवधि के अंत तक कुल	वर्तमान अवधि की समाप्ति पर
क. स्थाई परिसंपत्तियां									
1. भूमि									
क) पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन									
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	-		-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) फ्लैट/ घर का स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि जो कंपनी की नहीं है, पर भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर एवं फिक्स्चर	-	821	-	821	-	41	-	41	780
6. कार्यालय उपकरण	-	4,11,559		4,11,559	-	30,867	-	30,867	3,80,692
7. कंप्यूटर / सहायक उपकरण	-	11,27,134		11,27,134	-	2,25,427	-	2,25,427	9,01,707
8. विद्युतीय संस्थापन	-			-			-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	11,456	-	11,456	-	2,291	-	2,291	9,165
10. ट्यूबवैल्स एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थाई परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान अवधि का जोड़	**-**	**15,50,970**	**-**	**15,50,970**	**-**	**2,58,626**	**-**	**2,58,626**	**12,92,344**
चल रहे पूंजीगत कार्य									**1,81,26,887**
जोड़	**-**	**15,50,970**	**-**	**15,50,970**	**-**	**2,58,626**	**-**	**2,58,626**	**1,94,19,231**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./-
अध्यक्ष

हस्ता./-
सदस्य

अनुसूची - 9
निर्धारित / दान निधि से निवेश

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-
3. शेयर्स	-
4. ऋणपत्र एवं बांड	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-
6. अन्य	-
जोड़	**-**

अनुसूची - 10
निवेश - अन्य

(धनराशि ₹ में)

	Current Period
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-
3. शेयर्स	-
4. ऋणपत्र एवं बांड	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-
6. अन्य	-
जोड़	**-**

अनुसूची - 11
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	वर्तमान अवधि	
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां		
1. विविध लेनदार		
क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	
ख) अन्य	-	-
2. रोकड़ शेष (चेक / ड्राफ्ट एवं पेशगी सहित)		-
3. बैंक में शेष : अनुसूचित बैंकों के पास :		
i) चालू खाते में क) पीएनबी	1,38,23,554	1,38,23,554
ii) जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)		
iii) अन्य बचत खाते		-
4. डाकघर - बचत खाते		-
जोड़ (क)		**1,38,23,554**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण : क) स्टाफ को		
ख) समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य कंपनियों को	-	
ग) अन्य को	-	-
2. अग्रिम और नगद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्य अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए अन्य राशि :		
क) पूंजी खाते पर	-	
ख) पूर्वभुगतान	21,813	
ग) अन्य - स्टाफ	1,61,294	1,83,107
3. प्राप्त आय		
क) निर्धारित/ दान निधि से निवेश पर	-	
ख) निवेश पर - अन्य	-	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	-	
घ) अन्य - जमा ब्याज	-	
- सहायता अनुदान	-	-
4. प्राप्य दावे - टीडीएस	12,481	
- अन्य	-	12,481
जोड़ (ख)		**1,95,588**
जोड़ (क+ख)		**1,40,19,142**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./-
अध्यक्ष

हस्ता./-
सदस्य

अनुसूची - 12
अनुदान / सब्सिडी

(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी)

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. केन्द्र सरकार	7,43,00,000
2. राज्य सरकार (रें)	-
3. सरकारी एजेंसियां	-
4. संस्थान /कल्याणकारी निकाय	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-
6. अन्य	-
जोड़	**7,43,00,000**

अनुसूची - 13
शुल्क / अंशदान

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. प्रवेश शुल्क	-
2. दाखिल करने का शुल्क	-
3. संगोष्ठी/ कार्यक्रम शुल्क	-
4. परामर्श शुल्क	-
5. अन्य:	
क) आरटीआई शुल्क	-
जोड़	**-**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली	हस्ता./-	हस्ता./-
तारीख : 30.06.2023	**अध्यक्ष**	**सदस्य**

अनुसूची - 14
निवेश से आय

(निधियों में अंतरित निर्धारित/ दान निधि से निवेश पर आय)

(धनराशि ₹ में)

	निर्धारित निधि से निवेश	निवेश - अन्य
	वर्तमान अवधि	वर्तमान अवधि
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बांड / ऋणपत्रों पर	-	-
2. लाभांश		
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य	-	-
जोड़	-	-
निर्धारित / दान निधि में अंतरित	-	-

अनुसूची - 15
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. रायल्टी से आय	-
2. प्रकाशनों आदि से आय	-
3. अन्य	-
जोड़	-

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली हस्ता./- हस्ता./-
तारीख : 30.06.2023 **अध्यक्ष** **सदस्य**

अनुसूची - 16
अर्जित ब्याज

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. सावधि जमा (एफडीआर) पर :	
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	-
ग) संस्थाओं के पास	-
घ) अन्य	-
2. बचत / ऑटो स्वीप खातों पर :	
क) अनुसूचित बैंकों के पास	1,20,369
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	-
ग) डाकघर बचत खाते	-
घ) अन्य	-
3. ऋणों एवं अग्रिमों पर :	
क) कर्मचारी/ स्टाफ	-
ख) अन्य	-
4. कर्जदारों से ब्याज और अन्य प्राप्य	-
जोड़	**1,20,369**

अनुसूची - 17
अन्य आय

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ :	
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-
ख) अनुदान से खरीदी गई अथवा निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-
2. आरटीआई शुल्क	10
3. विविध आय (अन्य प्राप्तियां)	15,001
जोड़	**15,011**

अनुसूची - 18
स्थापना व्यय

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. वेतन एवं मजदूरी	1,41,09,926
2. भत्ते एवं बोनस	1,00,46,449
3. भविष्य निधि/ नई पेंशन स्कीम में अंशदान	11,47,854
4. अन्य निधियों में अंशदान	-
5. कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	1,06,163
6. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	
क) ग्रेच्युटी	4,57,732
7. अन्य - आवासीय / चिकित्सा	17,52,622
जोड़	**2,76,20,746**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली	हस्ता./-	हस्ता./-
तारीख : 30.06.2023	**अध्यक्ष**	**सदस्य**

अनुसूची - 19
अन्य प्रशासनिक व्यय

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. खरीद	-
2. श्रम एवं प्रोसेसिंग व्यय	-
3. मालभाड़ा और आवक भाड़ा शुल्क	-
4. बिजली, ऊर्जा और जल प्रभार	4,40,032
5. जल प्रभार	-
6. बीमा	-
7. मरम्मत एवं अनुरक्षण/ एएमसी	2,24,069
8. भवन (कार्यालय परिसर) का किराया	2,14,75,323
9. किराया, दरें एवं कर	-
10. वाहन संचालन, अनुरक्षण अथवा भाड़ा प्रभार	8,58,977
11. डाक खर्च, टेलीफोन एवं संचार प्रभार	15,97,035
12. मुद्रण एवं स्टेशनरी	2,52,505
13. यात्रा एवं परिवहन व्यय	-
क) विदेश	-
ख) घरेलू	11,75,514
14. संगोष्ठी / कार्यशालाओं पर व्यय	-
15. अंशदान व्यय	-
16. कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	-
17. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/ कानूनी शुल्क	57,500
18. आतिथ्य व्यय	3,27,075
19. व्यावसायिक प्रभार	13,56,837
20. खराब एवं संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	-
21. बट्टेखाते डाली गई अपूरणीय शेष राशि/ परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल घाटा	-
22. पैकिंग प्रभार	-
23. भाड़ा और अग्रेषण व्यय	-
24. संगोष्ठी / कार्यशालाओं पर व्यय	1,31,678
25. विज्ञापन एवं प्रचार	-
26. अन्य	-
क) सदस्यता शुल्क	-
ख) बैंक प्रभार	-
ग) मूल्यह्रास	2,58,626
घ) प्रकाशन	51,470
ड.) सुरक्षा /अन्य सेवाओं की आउटसोर्सिंग	37,67,355
च) आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग	2,02,749
छ) पत्रिकाएं एवं अखबार	4,25,059
ज) विविध व्यय	1,24,116
झ) आयकर पर व्यय	4,700
जोड़	**3,27,30,620**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./-
अध्यक्ष

हस्ता./-
सदस्य

अनुसूची - 20
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. संस्थाओं / संगठनों को दिए गए अनुदान	-
2. संस्थाओं / संगठनों को दी गई सब्सिडी	-
जोड़	-

अनुसूची - 21
ब्याज

(धनराशि ₹ में)

	वर्तमान अवधि
1. निर्धारित ऋणों पर	-
2. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-
3. अन्य	1,20,369
जोड़	**1,20,369**

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.06.2023

हस्ता./-
अध्यक्ष

हस्ता./-
सदस्य

अनुसूची - 22

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन कन्वेन्शन

1.1 वित्तीय विवरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए एक समान प्रारूप को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। ये लेखे, ऐतिहासिक लागत कन्वेन्शन के अंतर्गत तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार उपचय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 सभी निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

2.2 "दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी को छोड़कर ह्रास के लिए प्रावधान ऐसे निवेश की रखाव लागत में किया जाता है।

2.3 "अल्पकालिक" के रूप में वर्गीकृत निवेश अपेक्षाकृत कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग विचार करके किया जाता है न कि वैश्विक लागत पर।

3. स्थाई परिसंपत्तियां

3.1 स्थाई संपत्तियों का उल्लेख संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, को घटाकर उनकी मूल लागत पर किया जाता है। इस लागत में प्रत्यक्ष व्यय और परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

3.2 ऐसी परिसंपत्तियों जो तुलन पत्र की तारीख से पहले उपयोग के लिए तैयार न हों, की लागत का खुलासा चालू पूंजीगत कार्य के तहत किया जाता है। चालू पूंजीगत कार्य का लागत पर उल्लेख किया जाता है जिसमें संचित इंपेयरमेंट लॉस, यदि कोई हो, शामिल है।

3.3 अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन अनुमानित आर्थिक उपयोगी जीवन के दौरान स्ट्रेट-लाइन के आधार पर किया जाता है।

3.4 अनुदानग्राही संगठन बनने से पहले प्राप्त स्थाई परिसंपत्तियों को एक रुपए प्रति मद की दर से पूंजी रिजर्व में जमा करके पूंजी में परिवर्तित किया गया है।

ऐसी परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:		
परिसंपत्तियों का ब्लॉक	**मदों की संख्या**	**मूल्य (रुपए में)**
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	821	821
कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	250	250
कार्यालय उपकरण	116	116

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास, आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

4.2 इस अवधि के दौरान स्थाई संपत्तियों में वृद्धि/कटौती के संबंध में मूल्यह्रास पर आयकर अधिनियम, 1961 में यथा निर्दिष्ट दरों और विधि के अनुसार विचार किया जाता है।

4.3 पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर उस अवधि में 5,000/- रुपए से कम मूल्य की परिसंपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

5. सरकारी अनुदान/ सब्सिडी

5.1 सरकारी अनुदानों को उस अवधि की आय माना जाता है जिसमें वे प्राप्त होते हैं। इसके उपयोग की गणना संग्रहण के आधार पर की जाती है।

5.2 अप्रयुक्त अनुदान अगले वित्त वर्ष की पहली या बाद की किश्तों की रिलीज में समायोजित किया जाता है।

6. राजस्व मान्यता

6.1 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एक अनुदानग्राही संगठन है। इसका राजस्व ब्याज और विविध प्राप्तियों तक सीमित है। ऐसे विविध राजस्व/आय की गणना आम तौर पर संचय के आधार पर की जाती है, क्योंकि वे अर्जित किए जाते हैं।

6.2 अनुदानग्राही संगठन बनने के समय हाथ में मौजूद धनराशि को राजस्व माना जाता है।

6.3 अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज को राजस्व माना जाता है और मंत्रालय को देय ब्याज के तौर पर उसे दर्ज किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन की गणना लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

7.2 विदेशी मुद्रा में अंकित वर्तमान परिसंपत्तियां और/या वर्तमान देयताएं अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं।

8. सेवानिवृत्ति लाभ

8.1 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में सीधे भर्ती के अधिकारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी एनपीएस या अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) जो उनके संबंधित मूल संगठनों में लागू हो, के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण संबंधित निधि जो लागू हो, में नियोक्ता का अंशदान दे रहा है।

8.2 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, उस वर्ष जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है., के आय और व्यय विवरण में गैर-रियायती राशि पर प्रदान किए जाते हैं। परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए भुगतान, जब देय हों, को लाभ और घाटा विवरण में व्यय माना जाता है। कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर जमा की जाती है। कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का प्रावधान किया जाता है और इसकी गणना यह मानकर की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में यह लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

9. पट्टा

9.1 पट्टा किराए पर व्यय पट्टा शर्तों के अनुसार किया जाता है।

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली	हस्ता./-	हस्ता./-
तारीख : 30.06.2023	**अध्यक्ष**	**सदस्य**

अनुसूची - 23

आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 निम्नलिखित के संबंध में :

- एनएफआरए द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी शून्य है।
- एनएफआरए की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण पत्र शून्य हैं।
- बैंकों से भुनाए गए बिल शून्य हैं।
- कोई विवादित मांग नहीं है।

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को अनुदानग्राही का दर्जा

2.1 वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21.9.2022 के आईडी नोट सं. 7(5)-बी(डब्ल्यू एंड एम)/एनएस 2021 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अनुदानग्राही का दर्जा अनुमोदित कर दिया। विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2022 (दिनांक 24.12.2022 की भारत की राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना) के भाग के रूप में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लिए अनुदान अधिकृत करते हुए संसद का अनुमोदन प्रदान किया गया था और परिणामस्वरूप आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 26.12.2022 के आदेश संख्या 4(17)-बी(एसडी)/2022 के तहत अधिसूचित किया गया था।

2.2 इसके बाद, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.03.2023 के स्वीकृति आदेश सं. एनएफआरए-05/2/2023 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को पहली बार सहायता अनुदान जारी किया गया।

3. चालू पूंजीगत कार्य

3.1 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की ओर से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा एनएफआरए कोर एप्लीकेशन सिस्टम (एनसीएएस) वर्कफ़्लो एप्लिकेशन विकसित की जा रही है। 8,99,36,604/- रुपए की अनुमानित लागत की एनसीएएस परियोजना अक्टूबर 2019 में शुरू हुई। इस परियोजना के पूरा होने की संभावित अवधि 5 वर्ष थी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एनसीएएस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 तक कुल 3,95,84,722/- रुपए की राशि प्रेषित कर दी है। एनसीएएस परियोजना के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रेषित धनराशि अनुसूची 8 स्थाई परिसंपत्ति में 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर ली गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, अनुदानग्राही संगठन बन जाने के पश्चात् राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने एनआईसीएसआई को 1,81,26,886/- रुपए जारी किए हैं और इसे चालू पूंजीगत कार्य (अनुसूची 8- स्थाई परिसंपत्ति) के तहत दर्ज किया गया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कुल 1,81,26,887/- रुपए के पूंजीगत कार्य चल रहे हैं।

4. वर्तमान परिसंपत्तियां

4.1 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के विचार से चालू परिसंपत्तियों का सामान्य कारोबार के दौरान नकदीकरण मूल्य होता है जो तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान

5.1 स्थानीय प्राधिकरण पर यथा-लागू आयकर प्रावधान बनाया गया है।

6. राजस्व मान्यता

6.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई और 03.03.2023 को पेशगी खाते में शेष 15,000/- रुपए की राशि को आय एवं व्यय लेखा में अन्य आय माना जाता है।

6.2 विचाराधीन अवधि के दौरान 1,20,369/- रुपए के सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को मंत्रालय को देय ब्याज के तौर पर दर्ज किए जाने के साथ अन्य आय माना जाता है (अनुसूची 7 और 21 देखें)।

7. देय किराया

7.1 भवन का किराया शीर्ष में दर्ज व्यय (अनुसूची संख्या 19 देखें) वह राशि है जो 7वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20 केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के संबंध में दिसंबर, 22 से मार्च, 23 की अवधि के लिए और 8वीं मंजिल के संबंध में जनवरी, 23 से मार्च, 23 की अवधि के लिए अनुरक्षण शुल्क की दरें 18% से संशोधित करके 24% कर दिए जाने के कारण देय है।

8. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

8.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन को तब मान्यता दी जाती है जब कोई लेनदेन किसी विदेशी मुद्रा में अंकित होता है या विदेशी मुद्रा में भुगतान की आवश्यकता होती है। वर्तमान अवधि के दौरान, कोई लेन-देन विदेशी मुद्रा में अंकित नहीं है या भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 प्रस्तुत वित्तीय विवरण एक माह से कम अवधि के हैं। इसलिए किसी प्रावधान को छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन अंशदान जैसे कर्मचारियों के लाभ मानना न तो व्यावहारिक है और न ही सार्थक। इसलिए वर्तमान अवधि में कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

10. सांविधिक देयताएं

10.1 एनएफआरए द्वारा मार्च, 23 माह के दौरान टीडीएस, जीएसटी-टीडीएस, एनपीएस, जीपीएफ और जीआईएस के लिए कर्मचारियों और विक्रेताओं से काटी गई राशि अनुसूची 7 में सांविधिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई है। 31.03.2023 के बाद यह राशि संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई।

11. अनुसूचियां 1 से 23 संलग्न हैं और 31 मार्च 2023 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग हैं।

कृते राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

स्थान : नई दिल्ली	हस्ता./-	हस्ता./-
तारीख : 30.06.2023	**अध्यक्ष**	**सदस्य**

COMPLIANCE TO AUDIT OBSERVATION

No Audit observations

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
7वीं-8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001